197/4 कार्यालय हाजा की रिट शाखा में प्राप्त
माननीय उच्च न्यायालय राज० में विचाराधीन
एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या-3608/
2021 के साथ संलग्न एनेक्चर-7 के अवलोकन
पश्चात न्यायालय के स्वत: संज्ञान स्वरूप
पत्रावली निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व
प्रस्तुत हुई। इस रिट याचिका सं.प./3608/
2021 के अवलोकन से न्यायालय हाजा के
संज्ञान में आया कि हस्तगत याचिका पत्र
में प्रश्नगत भूमि चक 16 APD (A) तहसील
अनूपगढ़ के मुरब्बा नं.-262/3 की 25
बीघा भूमि उपायुक्त उपनिवेशन, राज. कैनाल

Mutated.
Perr.
23/7/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:21 IST
Reason: SelfAttested

परियोजना, बीकानेर द्वारा दिनांक 21.08.1965/07.08.1985 को प्रार्थीगण के पिता काला सिंह S/o कान सिंह को आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन के पश्चात कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध में तथ्य छुपाकर गलत तरीके से आवंटन कराने के विरुद्ध में शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत की विस्तृत जाँच पश्चात उपायुक्त उपनिवेशन, विजयनगर द्वारा गलत तथ्य के आधार पर भूमि आवंटन कराना सिद्ध मानते हुए प्रार्थीगण के पिता काला सिंह पुत्र कान सिंह का आवंटन अपने निर्णय दिनांक 21.02.1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया। पश्चात भूमि के आवंटन निरस्ती का उक्त आदेश प्रथम अपील, द्वितीय अपील, निगरानी, रिट याचिका आदि के माध्यम से समय-समय पर चैलेन्ज किया जाता जो कि अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा यथावत रखा गया।

दिनांक 19.07.18 को माननीय राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या-2366/2019 में पारित निर्णय दिनांक 8.07.19 द्वारा प्रार्थीगण की रिट याचिका अंतिम रूप से खारिज की जा चुकी है एवं माननीय उच्च न्यायालय राज. ने अपने उक्त निर्णय में यह भी निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भूमि का कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है।

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2021.08.08 1
Reason: SelfAttest

कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अतः उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित रकबा खातेदारी से संबद्ध तथ्य के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य यथा विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में कोई अनुतोष न प्राप्त होने एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार न होने का अभिनिर्धारण, न्यायालय हाजा के समक्ष उद्घाटित नहीं किए गए। उक्त के क्रम में न्यायालय का मानना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए न केवल हस्तगत प्रार्थना पत्र/वाद पत्र प्रस्तुत किया। फलतः स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष न आने के कारण न केवल प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अनधिकारी हैं, वरन् हस्तगत प्रार्थना पत्र/वाद पत्र भी पोषणीय नहीं है।

अतः वकील वादीगण दिनांक 23.7 को न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उपर्युक्त विवेचित आधारों पर हस्तगत वाद पत्र को खारिज कर दिया जावे। आगामी तारीख बाबत वकील वादीगण को नोट कराया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.21 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

23.7/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण हस्तगत वाद के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। अतः हस्तगत वाद को न्यायालय द्वारा नामंजूर किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature No...
Digitally signed b...
Date: 2021.08.0...
Reason: SelfAtte...